अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

7560 42
24-4-15

क्रमांकः एफ.–27(44)ग्राविवि / ग्रुप–5 / आवास / प्रगति / समीक्षा / 2015–16 दिनांकः 16 अप्रेल, 2015

समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.)
राजस्थान , जयपुर

विषय : वर्ष 2011–12 के स्वीकृत आवासों को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इन्दिरा आवास योजना कियान्वयन के दिशा–निर्देशों के अनुसार स्वीकृत आवास को पूर्ण कराने हेतु अधिकतम 2 वर्ष एवं विशेष परिस्थितियों में 3 वर्ष अनुमत है । वर्ष 2011–12 में स्वीकृत इन्दिरा आवासों को पूर्ण कराने हेतु अनुमत अधिकतम 3 वर्ष की समय सीमा माह मार्च 2015 में ही समाप्त हो चुकी है ।

भारत सरकार को वर्ष 2015–16 में आवंटित लक्ष्यों की राशि व पूर्व के वर्षों के स्वीकृत आवासों की राशि की किश्त प्राप्त करने हेतु इस आशय का प्रमाण पत्र दिया जाना होगा कि वर्ष 2011–12 में स्वीकृत सभी इन्दिरा आवास पूर्ण कर लिए गये है । अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि वर्ष 2011–12 व 2012–13 में स्वीकृत सभी योजनाओं के आवासों को 30.06.015 तक पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें । समय सीमा तक यह कार्य पूर्ण नहीं होने पर राज्य सरकार को किश्त प्राप्त न होने अथवा विलम्ब होने की स्थिति में आप व्यक्तिगत जिम्मेदार होंगे ।

16/4/15
(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, ग्रावि एवं पंरावि, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव ग्रावि एवं पंरावि, राजस्थान, जयपुर ।
3. निजी सचिव, शासन सचिव ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
5. निजी सचिव, आयुक्त महात्मा गांधी नरेगा स्कीम, राजस्थान, जयपुर ।
6. वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
7. परियोजना निदेशक एवं उप सचिव (मो. एवं मू.) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने बाबत्।
8. समस्त जिला कलक्टर राजस्थान, जयपुर ।
9. समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति राजस्थान, जयपुर ।

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रा.वि.)

Programme
23/4

Letter 17